

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

वादी

प्रतिवादीगण

1 जसराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी खारिया तला, तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

1 सताराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी खारिया तला, तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर 2 कुटली पत्नी मगाराम 3 खेमाराम 4 पदमों 5 बाबूदेवी 6 भोमाराम पिसरान मगाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी खारिया तला, तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर 7 शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक शाखा बाडमेर 8 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

दावा बाबत् 088 व 200 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 69/2025

निर्णय दिनांक :- 08/07/2025

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या .....01 व 07..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08/07/2025 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादी का वाद माफिक ईकबाली जवाब दावा स्वीकार किया जाकर मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 845/569 रकबा 29.9305 हैक्टेयर भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 सताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 06 चौसाला जमाबन्दी संवत 2074-2076 में उक्त भूमि एचडीएफसी बैंक शाखा बाडमेर के अधीन रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 08/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(वीरमा राम)

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	